

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में भर्ती मरीजों को अस्पताल परिशर के अन्दर एवं एक वार्ड से दूसरे वार्ड, आकस्मिकी से अन्य वार्ड ले जाने तथा पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलोजिकल जाँच सुविधा प्रदान करने हेतु तीनों पालियों (2477) के लिए चालक सहित दो ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) की सेवा लेने हेतु निविदा प्रकाशन की अंतिम तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी बेबसाईट [पूचतकइपीतपदपबणपद](#) या [पूचउबीणपद](#) पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

ह0/-

अधीक्षक

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना
निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में भर्ती मरीजों को अस्पताल परिशर के अन्दर एवं एक वार्ड से दूसरे वार्ड, आकस्मिकी से अन्य वार्ड ले जाने तथा पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलोजीकल जाँच सुविधा प्रदान करने हेतु तीनों पालियों (24x7) के लिए चालक सहित दो ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) की सेवा लेने हेतु निविदा प्रकाशन की अंतिम तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाइट [पूचतकइपीतपदपबपपद](#) या [पूचउबीपपद](#) पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा शर्त

- (1) निविदादाता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट रूप से टंकित होना चाहिए।
- (2) निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित होना चाहिए। राज्य के बाहर के निविदादाता भी इस शर्त के साथ निविदा में भाग ले सकते हैं कि दर अनुमोदन के पश्चात बिहार वाणिज्यकर से निबंधन प्राप्त कर लेगे। दर अनुमोदन पश्चात् वाणिज्यकर अद्यतन/कर चुकता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- (3) निविदादाता को सेवा-कर विभाग में निबंधित होना आवश्यक होगा।
- (4) निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (5) निविदादाता को जिला परिवहन विभाग द्वारा निर्गत ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रिक्शा व ई-कार्ड का परिमित संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस निमित्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना प्रभावी होगा।
- (6) निविदादाता द्वारा छः चालक सहित दो ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) से 24x7 तीन पालियों में सेवा प्रदान करना होगा।
- (7) निविदादाता को कार्यदेश निर्गत करने के पूर्व सभी संबंधित ई-रिक्शा चालक का जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा निर्गत ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (8) ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) का बनावट ऐसी होना चाहिए जिसपर मरीज लेट कर दो अभिभवक के साथ ले जाया जा सके। स्ट्रेचर का बनावट ऐसी होनी चाहिए कि

मरीज सहित स्ट्रेचर ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) से बाहर सुगमता पूर्वक निकाला जा सके। एक अद्वैत ऑक्सीजन सिलिण्डर रहना चाहिए। ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) में नजदक जपान मिजल ठतमा लगा रहना अनिवार्य होगा।

- (9) निविदादाता का तकनीकी निविदा के साथ अग्रधान शशि के रूप में अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के पक्ष में ₹ 50,000.00 (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (10) निविदादाता को कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का मूल शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे या उनका फर्म किसी भी अपराधिक मुकदमा में संलिप्त नहीं है न ही किसी राज्य द्वारा उन्हें काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
- (11) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।
- (12) किसी भी समय भी निविदा को आंशिक एवं पूर्णतः शुद्ध या रद्द करने का अधिकार अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना को सुरक्षित रहेगा।
- (13) निविदा प्रभावी होने से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक रहने पर अवधि बढ़ायी जा सकती है।

वित्तीय निविदा

- (1) तीन चालक सहित 24x7 घंटे लिए प्रति ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) का दर अंकित किया जायेगा। दर सभी कर सहित होगा।
- (2) ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) का नियमित संचालन का रख-रखाव का पूर्ण दायित्व निविदादाता को होगा। ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) खराब होने की स्थिति में मरीजों को निरंतर सुविधा प्रदान करने हेतु अविलम्ब बैकल्पिक व्यवस्था के तहत निविदादाता द्वारा अन्य ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जायेगा। निविदादाता द्वारा समुचित ई-रिक्शा (एम्बुलेन्स कार्ट) व्यवस्था उपलब्ध नहीं करने पर आर्थिक दण्ड देना होगा, जिसमें अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा अंकित दर वर्तमान बाजार दर पर मूल्यकृत है।

ह०/-

अधीक्षक

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना